न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 गोपाल रेड्डी,

प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1468-एक/04 एवं निगरानी 1527-एक/04 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-8-04 पारित द्वारा बंदोवस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 59/अपील/91-92.

निगरानी 1468-एक/04

1- रिजवानउद्दीन पिता हसीबउद्दीन
'निवासी ग्राम झिरन्या खाचरोद तहसील नागदा
हाल मुकाम जवाहरमार्ग बस स्टेण्ड के पीछे
नागदा जिला उज्जैन

2- अखलाकउद्दीन पिता हसीबउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौद तहसील नागदा
हाल मुकान 221/1 दमदमा कोठी रोड उज्जैन

3- इलियासउद्दीन पिता नजुमउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौदा तहसील नागदा
हाल मुकाम पिपलोन कलां तहसील आगर
जिला शाजापुर .... आवेदकगण

विरूद्ध

1- विवेक कुमार पिता चांदमल जी महाजन
निवासी जवाहर मार्ग खाचरौद जिला उज्जैन

2- रखबचन्द पिता मिश्रीलाल जी महाजन
निवासी 2 ओझा मार्ग नागदा जिला उज्जैन

3- श्रीमती विमला पुत्री मिश्रीलाल जी पति बाबूलाल जी
पता - पंज़ाब नेशल बैंक, जयपुर राजस्थान

4- श्रीमती चन्दा पुत्री मिश्रीलाल जी पति धीरजमल जी
निवासी रामगढ़ मोहल्ला रतलाम

5- श्रीमती हेमलता पुत्री मिश्रीलाल पत्नी समीरमल जी बाफना
निवासी 33/3 स्नेहलता गंज इन्दौर म0प्र0

6- श्रीमती मन्जू पुत्री मिश्रीलाल जी पति पारसमल जी पावेचा
निवासी जवाहरमार्ग गली नं0 1
नागदा जिला उज्जैन

7- हबीबउद्दीन मृत वारिसान -
1-सैय्यदा बी विधवा हबीबउद्दीन
2-अय्युबउद्दीन पिता हबीबउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौद
तहसील नागदा जिला उज्जैन

8- जलालउद्दीन पिता हसीबउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौद
तहसील नागदा जिला उज्जैन

9- नबीउद्दीन पिता हसीबउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौद
तहसील नागदा जिला उज्जैन .... अनावेदकगण

निगरानी 1527-एक/2004

1- हबीबउद्दीन पिता हसीबउद्दीन (मृत) वारिसान -
1-सैय्यदा बी विधवा हबीबउद्दीन
2-अय्यूबउद्दीन पिता हबीबउद्दीन

2- जलालउद्दीन पिता हसीबउद्दीन

3- नबीउद्दीन पिता हसीबउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौद
तहसील नागदा जिला उज्जैन .... आवेदकगण

विरूद्ध

1- विवेक कुमार पिता चांदमल जी महाजन
निवासी जवाहर मार्ग खाचरौद जिला उज्जैन

2- रेखबचन्द पिता मिश्रीलाल जी महाजन
निवासी 2 ओझा मार्ग नागदा जिला उज्जैन

3- श्रीमती विमला पुत्री मिश्रीलाल जी पति बाबूलाल जी
द्वारा - पंजाब नेशल बैंक, जयपुर राजस्थान

4- श्रीमती चन्दा पुत्री मिश्रीलाल जी पति धीरजमल जी
निवासी रामगढ़ मोहल्ला रतलाम

5- श्रीमती हेमलता पुत्री मिश्रीलाल पत्नी समीरमल जी बाफना
निवासी 33/3 स्नेहलता गंज इन्दौर म0प्र0

6- श्रीमती मन्जू पुत्री मिश्रीलाल जी पति पारसमल जी पावेचा
निवासी जवाहरमार्ग गली नं0 1
नागदा जिला उज्जैन

7- अखलाकउद्दीन पिता हसीबउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौद तहसील नागदा
हाल मुकान 221/1 दमदमा कोठी रोड उज्जैन

8- रिजवानउद्दीन पिता हसीबउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरोद तहसील नागदा
हाल मुकाम जवाहरमार्ग बस स्टेण्ड के पीछे
नागदा जिला उज्जैन

9- इलियासउद्दीन पिता नजुमउद्दीन
निवासी ग्राम झिरन्या खाचरौदा तहसील नागदा
हाल मुकाम पिपलोन कलां तहसील आगर
जिला शाजापुर ....अनावेदकगण

श्री आलोक शास्त्री, अधिवक्ता, आवेदकगण (प्र0क्र0 निग01468-एक/04)
श्री दिनेश व्यास, अधिवक्ता, आवेदकगण (प्र0क्र0 निग0 1507-एक/04)
एवं अनावेदक क्रं0 7 लगायत 9 (प्र0क्र0 निग01468-एक/04)
श्रीं ए0आर0 यादव, अधिवक्ता, अनावेदक क्रं0 7 लगायत 9 (प्र0क्र0 निग01507-एक/04)
अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 - एकपक्षीय (दोनों प्रकरणों में)

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25-10-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानियां बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 59/अपील/91-92 में पारित आदेश दिनांक 10-08-2004 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की

(3)

गई हैं । चूंकि दोनों प्रकरणों के तथ्य समान होने, पक्षकार समान होने एवं प्रकरणों में विवाद बिंदु एक होने के कारण दोनों प्रकरणों का निराकरण एक साथ एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दोनों प्रकरणों के आवेदकों द्वारा सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पेश किया गया कि ग्राम झिरन्या तहसील खाचरौद स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 144, 151, 255/1, 232/1, 234/1, 235/2, 178/1, 412, 413, 424, 426, 427 एवं 428 कुल किता 14 कुल रकबा 10.442 हैक्टर भूमि जो रेखांकित भूमिस्वामी चांदमल आदि के नाम से चली आ रही है उनका स्वर्गवास पूर्व में हो चुका है । आवेदकगण का उक्त भूमियों पर आधिपत्य कई वर्षों से चला आ रहा है । वर्ष 1962-63 से 1989-90 तक खसरे में आवेदकगण का कब्जा अंकित है, इसलिए अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 के पूर्वज मिश्रीलाल एवं चांदमल के स्थान पर आवेदकों का नामांतरण किया जाये । उक्त आवेदन पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 01/अ-6-अ/89-90 दर्ज किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया तदुपंरात सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने दोनों पक्षों की साक्ष्य के उपरांत तथा अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 द्वारा प्रस्तुत जबाव में आवेदकों के वाद को स्वीकार करने के संबंध में की गई स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक 22-6-91 को आदेश पारित करते हुए स्व0 मिश्रीलाल एवं चांदमल के स्थान पर प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध अपील बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुई जो उन्होंने आदेश दिनांक 30-3-92 द्वारा निरस्त की । बंदोवस्त अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की गई जो बंदोवस्त आयुक्त ने उक्त अपील के अपीलार्थी के उपस्थित हुए बिना तथा आवेदकगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना स्वयं अनावेदक क्रं0 -1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये । बंदोवस्त आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध ये निगरानियां प्रस्तुत की गई हैं ।

3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि अनावेदक क्र. 1 जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई थी उसकी ओर से दिनांक 15.06.2004 को प्रकरण पत्रिका में यह लिखा गया कि अपीलांट क्रमांक 1 फौत होने से उसके वैध वारिसों को अभिलेख पर लाने का आवेदन दिनांक

9.2.1996 पर विचार हेतु कोई उपस्थित नहीं व दिनांक 09.07.2004 पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर बताए गए हैं उसके पश्चात दिनांक 28.07.2004 पेशी नियत की उस दिनांक को " प्रकरण प्रस्तुत रेस्पोडेंट अभिभाषक उपस्थित अपीलांट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अपीलांट क्रमांक 1 फौत हो गया जिनके विधिक वारिसों को रिकॉर्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। मृतक मुकेश का नाम कम किया जाना स्वीकृत व दिनांक 3.8.2004 की आदेश पत्रिका अनुसार प्रकरण प्रस्तुत रेस्पोडेंट अभिभाषक उपस्थित बहस सुनी, गुणागुण के आधार पर आदेशार्थ व पेशी दिनांक 10.08.2004 नियत की एवं दिनांक 10.08.2004 को आदेश पारित किया गया।

यह तर्क दिया गया कि अनावेदक क्र. 1 की द्वितीय अपील में सुनवाई दिनांक 3-8-2004 को ना तो वह स्वयं और न कोई उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए। ऐसी स्थिति में विद्वान बंदोवस्त आयुक्त को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को निरस्त करना चाहिए उस पर गुणागुण पर विचार नहीं किया जा सकता इस संबंध में आवेदक की ओर से न्यायदृष्टांत 2013 (1) एम.पी.एल.जे. पेज नं. 8 (सुप्रीम कोर्ट) घनश्यामदास विरुद्ध माखनलाल तथा एक अन्य न्यायदृष्टांत 1997 (1) म.प्र. वीकली नोट 47, अब्दुर रहमान विरुद्ध अतीफा बेगम (सुप्रीम कोर्ट) का हवाला दिया गया है ।

यह भी तर्क दिया गया है कि रिजवानउद्दीन, अखलाकउद्दीन/इलियाजउद्दीन को अधीनस्थ बंदोबस्त आयुक्त न्यायालय से कोई सूचना पत्र तामील नहीं हुआ व उनको सूचना दिए बिना प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों का पालन किए बिना अर्थात सुनवाई का अवसर दिए बिना ही आदेश पारित किया है। प्रकरण पत्रिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि द्वितीय अपील में आवेदक रिजवानउद्दीन, अखलाकउद्दीन व इलियाजउद्दीन को कोई तामील का सूचना-पत्र प्राप्त हुआ हो, अभिलेख में नहीं है इसलिए द्वितीय अपील न्यायालय का आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है। इस संबंध में 1997 आर.एन. 141 (उच्च न्यायालय) रामचरण आदि विरुद्ध म.प्र. राज्य का हवाला दिया गया है । इस न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया - आदेश अधिकारिता रहित है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1997 आर.एन. 363 (उच्च न्यायालय) शरद शुक्ला आदि विरुद्ध जिला केन्द्र सहकारी बैंक) में यह व्यवस्था दी गई है कि - नैसर्गिक न्याय - प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुने बिना पारित आदेश - नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस प्रकार अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण रिजवान आदि

को सूचना दिए बगैर पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीलय न्यायालय बंदोबस्त अधिकारी उज्जैन द्वारा पारित आदेश विधिपूर्ण एवं संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना करते हुए पारित किये गये हैं । उक्त आदेशों को बंदोबस्त आयुक्त द्वारा अवैधानिक तरीके से हस्तक्षेप कर निरस्त किया गया है जबकि उन्हें समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस संबंध में उनके द्वारा न्यायदृष्टांत 1987 आर.एन. 216 (उच्च न्यायालय) (पूरन सिंह विरुद्ध मंगलिया आदि) तथा 1984 आर.एन. 36 (उच्च न्यायालय) जसवंत विरूद्ध चम्पालाल उद्धरित किया गया है ।

यह तर्क भी दिया गया है कि अधीनस्थ बंदोबस्त आयुक्त ग्वालियर द्वारा उनके समक्ष विचाराधीन अपील में बंदोवस्त अधिकारी एवं सहायक बंदोबस्त अधिकारी का प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ । बंदोवस्त आयुक्त ने दोनों न्यायालयों का रिकॉर्ड प्राप्त हुए बिना ही अनावेदक (1) की अपील स्वीकार करते हुए बिना रिकॉर्ड के तथ्यों व विधिक बिन्दुओं का जो उनके समक्ष अनावेदक द्वारा उठाए ही नहीं गए स्वयं द्वारा जो निष्कर्ष निकाले हैं वे सही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड का अवलोकन करना आवश्यक था, इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1993 आर.एन. 28 (श्यामलाल वि. शासन) को उद्धरित किया गया है । इस न्यायदृष्टांत में यह व्यवस्था दी गई है कि - संहिता की धारा 49 (1) तथा 44 अपील न्यायालय की शक्तियां अपील चलाने योग्य होना - निचले न्यायालय का अभिलेख मंगाए बिना इसे संक्षिप्त खारिज नहीं किया जा सकता। आवेदक अधिवक्ता द्वारा 1996 आर.एन. 305 (रामदयाल वि. तुलसीराम) को उद्धरित करते हुए कहा गया है कि - संहिता की धारा 44(2) निचले दोनों न्यायालयों के आदेश एक ही तथा आज्ञापक द्वितीय अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और न्यायदृष्टांत 2004 आर.एन. (अशोक सिंह वि. मध्यप्रदेश राज्य) संहिता की धारा 44(2) दोनों न्यायालय के समवर्ती आदेशों के विरुद्ध द्वितीय अपील ग्रहण करने के लिए उपवंधित कोई आधार नहीं - अपील खारिज किए जाने योग्य है। उक्त आधारों पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्न दो न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को बिना किसी वैध आधार के निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इस कारण आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

5/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 6 प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

6/ अनावेदक क्रमांक 7 लगायत 9 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय

के आदेश को त्रुटिपूर्ण बताते हुए निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

7/ आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 7 लगायत 9 के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। जहां तक प्रकरण में गुणदोष के संबंध में निराकरण का प्रश्न है जैसा कि 1980 जेएलजे पेज 879 (काशीराम गारी वि. नाथु) उच्च न्यायालय की फुल बैंच में भू-राजस्व संहिता की धारा 190, 157, 57 में निर्धारित किया है शांतिपूर्ण वैध विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही 1980 जेएलजे शॉर्टनोट 28 निजाम सिंह वि. कन्धरा में माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि विरोधी आधिपत्य गलती से भी हो तो आधिपत्यधारी को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार 1982 आर.एन. 488 (गलिया वि. बाबू) में प्रतिकूल आधिपत्य - निर्धारित अवधि से बाहर लंबे समय से प्रतिकूल आधिपत्य प्रतिकूल आधिपत्यधारी व्यक्ति के स्वत्व उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ष 1981 आर.एन. 146 (गंगाराम वि. बंशीराम) उच्च न्यायालय प्रस्तुत किया जिसमें विरोधी आधिपत्य के आधार पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसमें 12 वर्ष से अधिक समय से शांतिपूर्ण आधिपत्यधारी को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि बंदोवस्त अधिकारी ने अपने आदेश के पैरा 5 में विवेचना की है। दोनों निगरानी के आवेदकगण की ओर से खसरा 1962 से 1988-89 तक खसरे की प्रमाणित प्रति की छायाप्रति पेश की है। भू-राजस्व भी जमा किया है, रसीदों की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें उनके पूर्वजों का आधिपत्य के रूप में इन्द्राज है स्वयं अनावेदक क्र. 1 के अभिभाषक जो कि बंदोबस्त अधिकारी के न्यायालय में अपीलार्थी थे ने भी 30 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होना स्वीकार किया है साथ ही इस निगरानी में 2 लगायत 6 जो कि बंदोबस्त अधिकारी की अपील में रेस्पोडेंट 7 लगायत [illegible] पक्षकार हैं, उनके द्वारा भी जो जवाब प्रस्तुत किया है उस जवाब में आवेदकगण का कब्जा भूमिस्वामी अधिकार की स्वीकृति का जवाब प्रस्तुत किया है। साथ ही अनावेदक क्र. 1 द्वारा कब्जा वापिसी प्राप्त करने हेतु कोई कार्यवाही कभी भी नहीं की गई। ऐसी स्थिति में आवेदकगण को भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त हो गए इस संबंध में 1989 आर.एन. 346 (असीमुद्दीन वि. भोजपाल सिंह) भू-राजस्व संहिता की धारा 169(दो) 190, 189 लंबे समय से शांतिपूर्ण कब्जा और भू-राजस्व का भुगतान साबित किया गया - पुनर्ग्रहण की कोई कार्यवाही नहीं की गई - भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय बंदोबस्त आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं उल्लिखित न्यायदृष्टांतों को अनदेखा करते हुए आदेश पारित किया गया

है। बंदोबस्त आयुक्त ने इस प्रकरण में स्वयं होकर जिन न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए जो आदेश दिया है वह प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उचित नहीं है।

8/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क भी स्वीकार योग्य है कि उनके समक्ष प्रस्तुत अपील के अपीलकर्ता अनावेदक क्रमांक -1 ना तो स्वयं और ना ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुए थे, इस कारण विद्वान बंदोबस्त आयुक्त को भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों के अनुसार अपील को निरस्त करना चाहिए था। इस संबंध में आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत 2013 (1) एम.पी.एल.जे. पेज नं. 8 (सुप्रीम कोर्ट) घनश्यामदास विरुद्ध माखनलाल अवलोकनीय है । इस न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि - सिविल प्रक्रिया संहिता (1976 के अधिनियम के 104 द्वारा यथा संशोधित) आदेश 41 नियम 17 एवं स्पष्टीकरण अपीलार्थी के व्यतिक्रम के कारण अपील खारिज - यदि अपीलार्थी अपील की सुनवाई के लिए जब बुलाया जाता है तब हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय को मामले के गुणागुण की जांच किए वगैर अपील खारिज करनी होगी। इसी प्रकार एक अन्य न्यायदृष्टांत 1997 (1) म.प्र. वीकली नोट 47, अब्दुर रहमान विरुद्ध अतीफा बेगम(सुप्रीम कोर्ट) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 41 नियम 17(1) अपीलार्थी का काउन्सेल उच्च न्यायालय में उपसंजात नहीं - अपील व्यतिक्रम के कारण खारिज की जा सकती है किंतु गुणागुण पर विनिश्चित नहीं की जा सकती। उपरोक्त न्यायदृष्टांत के प्रकाश में बंदोबस्त आयुक्त को अनावेदक क्र. 1 द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को उनकी अनुपस्थिति में निरस्त करना चाहिए था, अपील के गुणागुण पर विचार नहीं किया जा सकता था ।

9/ अपर आयुक्त के अभिलेख को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदकगण इम्तियाजउद्दीन, रिजवानउद्दीन एवं अखलाकउद्दीन को सुनवाई हेतु सूचनापत्र तो जारी किए गए हैं परंतु उन पर सूचनापत्र की तामीली हुई है इसका कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है जबकि न्याय के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त व समुचित अवसर देना चाहिए था, जो अपर आयुक्त के अभिलेख से दिया जाना नहीं पाया जाता । इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 1997 आर.एन. 141 (उच्च न्यायालय) रामचरण आदि विरुद्ध म.प्र. राज्य तथा 1997 आर.एन. 363 (उच्च न्यायालय) शरद शुक्ला आदि विरुद्ध जिला केन्द्र सहकारी बैंक में प्रतिपादित मत के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है । इन न्यायदृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है

कि नैसर्गिक न्याय- प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुने बिना पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि बन्दोबस्त आयुक्त द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी का रिकॉर्ड प्राप्त किए बिना आदेश पारित किया गया है जो ऊपर उद्धरित न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से यह भी स्पष्ट है कि विद्वान बंदोवस्त आयुक्त द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी तथा बन्दोबस्त अधिकारी उज्जैन के न्यायिक एवं विधिसम्मत समवर्ती आदेशों को बिना किसी पर्याप्त आधार के निरस्त किया गया है । न्यायदृष्टांत 1987 आर.एन. 216 (पूरन सिंह विरुद्ध मंगलिया आदि) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा-100 द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय की शक्तियां - जब तक कि अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष विपर्यस्त न हो एवं साक्ष्य पर आधारित हो, द्वितीय अपील में इसे विक्षुब्ध नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च् न्यायालय ने न्यायदृष्टांत 1984 आर.एन. 36 (जसवंत विरूद्ध चम्पालाल) में यहां तक कहा गया है कि - तथ्य विषयक निष्कर्ष गलत होने के बावजूद भी द्वितीय अपील में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । उक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा निम्न दो न्यायालयों के न्यायिक एवं विधिसम्मत समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है । अत: प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में बंदोवस्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता ।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह दोनों निगरानियां स्वीकार की जातीं हैं तथा बंदोवस्त आयुक्त द्वारा प्र0क्र0 59/अपील/91-92 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10-8-04 निरस्त किया जाता है एवं — बंदोवस्त अधिकारी, उज्जैन द्वारा प्र0क्र0 1/अ/6अ/90-91/अपील में पारित आदेश दिनांक 30-3-92 एवं सहायक बंदोवस्त अधिकारी, खाचरौद द्वारा प्र0क्र0 1/अ/6अ/80-90 में पारित आदेश दिनांक 22-6-91 यथावत कायम रखे जाते हैं ।

(एम0 गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर